



उत्तराखण्ड सरकार

राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड

मसूरी बाईपास रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून, पिन : 248008

दूरभाष : 0135-2669415, फ़ैक्स न० : 2669382 e-mail boardofrevenue-uk@gov.in

संख्या: 2077/चार-163/सर्वे/रा०प०/2023-24
सेवा में,

दिनांक देहरादून मार्च 18, 2025

जिलाधिकारी/अभिलेख अधिकारी,
ऊधमसिंहनगर।

विषय:-

जनपद ऊधमसिंहनगर की तहसील खटीमा के ग्राम बनमहोलिया में अभिलेख क्रिया कराने हेतु भू-राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 48 के अन्तर्गत क्षेत्रफल संशोधन प्रस्ताव के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के शुद्धि पत्र संख्या 147/XVIII(3)/2019-03(02)/2016 दिनांक 12.03.2026 जो अन्य के साथ-साथ परिषद एवं आपको पृष्ठांकित (छायाप्रति संलग्न) है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 855/XVIII(3)/2019-03(02)/2016 दिनांक 19.11.2019 द्वारा तहसील खटीमा के ग्राम बनमहोलिया, में क्षेत्रफल 241.441 है० जहाँ-जहाँ वे आते हैं, के स्थान पर शब्द, अंक और चिन्ह "638.510 है०" (पढ़ा जाय) अंकित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः उक्त अधिसूचना/शुद्धि पत्र संख्या 147 दिनांक 12.03.2026 की छायाप्रति संलग्न प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत ग्रामों में सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियायें प्रारम्भ किये जाने हेतु अधिसूचना/शुद्धि पत्र के अनुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न:-यथोपरि।

भवदीय,

(नरेश चन्द्र दुर्गापाल)

संयुक्त संचालक चकबंदी

- प्रतिलिपि- 1-आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
2-अनु सचिव, उत्तराखण्ड शासन, राजस्व विभाग, देहरादून को उक्त के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
3-स्टाफ ऑफ़िसर, राजस्व परिषद को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किए जाने हेतु।

संयुक्त संचालक चकबंदी

उत्तराखण्ड शासन

राजस्व अनुभाग-3

संख्या: ~~147~~/XVIII(3)/2026-03(06)/2016

देहरादून, दिनांक: 12 मार्च, 2026।

DRC (L.S.) / 16/3/26
16/3/26

शुद्धि पत्र

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना सं०-855/XVIII(3)/2019-03(02)/2016 दिनांक: 19.11.2019 में, शब्द, अंक और चिन्ह "241.441 हेक्टेयर" जहाँ-जहाँ वे आते हैं, के स्थान पर शब्द, अंक और चिन्ह "638.510 हेक्टेयर" पढ़ा जाए।

2- उक्त अधिसूचना इस सीमा तक संशोधित समझी जाएगी।
?

Digitally signed by
Surendra Narayan Pandey
Date: 05-03-2026
(सुरेन्द्र नारायण पाण्डे)

सचिव, राजस्व।

संख्या: ~~147~~/XVIII(3)/2026 एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- 3- जिलाधिकारी/अभिलेख अधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
- 4- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, जनपद हरिद्वार को अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं मुद्रित अधिसूचना की हिन्दी व अंग्रेजी की 25-25 प्रतियां राजस्व अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन व जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर को उपलब्ध कराने हेतु।
- 5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
SURENDRA SINGH NEGI (सुरेन्द्र सिंह नेगी)
Date: 12-03-2026 अनु सचिव।
14:34:41

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. ~~147/XVIII(3)/2026~~ dated ~~12/03/2026~~ for general information

GOVERNMENT OF UTTARAKHAND

Revenue Section-3

No. ~~147~~ /XVIII (3)/2026-03(06)/2016

DEHRADUN: DATED: 12, March, 2026

Corrigendum

In the notification no. 855/XVIII(3)/2019-03(02)/2016, dated November 19, 2019 of Uttarakhand Government, for the word, figure and sign "241.441 Hectare", wherever they occur, the word, figure and sign "638.510 Hectare" shall be read.

2- The said notification shall be deemed to be amended to this extent.

Digitally signed by
Surendra Narayan Pandey
Date: 05-03-2026
21:28:53

(Dr. Surendra Narayan Pande)
Secretary, Revenue